

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.8(17)गृह-12/कारा/2015

जयपुर, दिनांक : 8 DEC 2015

:: आदेश ::

राज्य सरकार द्वारा कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम-9, सन् 1894) की धारा 3 की उपधारा (1) सपटित राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 2 (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण गौ संवर्धन केन्द्र, पक्कासारना, हनुमानगढ़ को 10 बंदी क्षमता के प्रयोजनार्थ अस्थाई "खुला बंदी शिविर" घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

*sl*

(कृष्ण कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवंत्रत्रश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक सामान्य/17/2014/22346 दिनांक 13.07.15 के क्रम में।
2. सम्भानीय आयुक्त, बीकानेर
3. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
4. जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़
5. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
6. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, हनुमानगढ़
7. अध्यक्ष, श्री कृष्ण गौ संवर्धन केन्द्र, पक्कासारना, हनुमानगढ़
8. रक्षित पत्रावली।

*sl*

शासन उप सचिव